



2026:AHC-LKO:12580-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 129/2006

उत्तर प्रदेश राज्य, कृषि सचिव के माध्यम से

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

देवी दीन सिंह

....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	:	एस.के.मेहरोत्रा, आई.डी.शुक्ला

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सी.एम. आवेदन सं. 7558/2006)

1. यह अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु एक आवेदन है।
2. सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. हमने विलंब को क्षमादान करने के आवेदन समर्थन में शपथपत्र का अध्ययन किया है। प्रक्रियात्मक आधार पर जो कारण बताया गया है, वह पर्याप्त है। इसलिए, आवेदन को स्वीकार किया जाता है। विलंब क्षमा किया जाता है।

(अपील ज्ञापन पर आदेश)

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीश त्रिपाठी उपस्थित हैं। प्रतिवादी पक्षगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दाखिल की गई इस अपील के माध्यम से, राज्य ने रिट याचिका सं. 2524 (एस/एस) 1998 [देवी दीन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य] में दिनांक 19.05.2005 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत रिट न्यायालय ने प्रतिवादी के पति (अब दिवंगत) की द्वारा दाखिल की गई उक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को यह निर्देश दिया था कि वे देवी दीन सिंह की संग्रहण अमीन के पद पर दी गई सेवाओं को ध्यान में रखें, जिस पर उन्हें वर्ष 1969 में नियुक्त किया गया था और दो माह के अंदर जिले में उपलब्ध रिक्ति पर उन्हें संग्रहण अमीन के पद पर समायोजित करने के लिए उचित आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में देवी दीन सिंह को संग्रहण अमीन के स्थान पर कामदार नियुक्त किया गया था, जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीश त्रिपाठी ने बताया, क्योंकि देवी दीन सिंह को वर्ष 1969 में कभी संग्रहण अमीन नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि



उन्हें तकवी अमीन नियुक्त किया गया था और वह पद दिनांक 31.10.1975 को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए उन्हें कामदार नियुक्त किया गया था। क्योंकि विवादित निर्णय का पहले ही पालन हो चुका है, इसलिए इस अपील में इस न्यायालय के पास निर्णय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

6. तदनुसार, अपील **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

17 फरवरी 2026

शानू/-